पत्र संख्या–1/चौ0–90–26/2015गृ0आ0................../

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

पटना, दिनांक फरवरी, 2016

विषय :– **स्व0 गोविन्द पासवान, तत्कालीन चौकीदार 6/3 की पत्नी शारदा कुँवर, ग्राम–पडुका, पो0–तिलोखर, थाना–चुटिया, जिला–रोहतास को अनुग्रह अनुदान की राशि कुल ₹ 10,00,000 (दस लाख रू0) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक–8950, दिनांक 29.12.2015 द्वारा स्व0 गोविन्द पासवान, तत्कालीन चौकीदार 6/3, थाना–चुटिया, जिला–रोहतास की नक्सली उग्रवादियों द्वारा की गयी हत्या के फलस्वरूप वित्त विभाग के संकल्प सं0–2411, दिनांक 12.11.2005 एवं पत्रांक–2001, दिनांक 19.08.2011 में निहित प्रावधान के आलोक में स्व0 गोविन्द पासवान, तत्कालीन चौकीदार 6/3 की पत्नी शारदा कुँवर, ग्राम–पडुका, पो0–तिलोखर, थाना–चुटिया, जिला–रोहतास को अनुग्रह अनुदान के रूप में स्वीकृत कुल ₹ 10,00,000 (दस लाख रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना के मांग सं0–22, मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 113–पुलिस कार्मिकों का कल्याण, उपशीर्ष 0006–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष 31 02 अनुग्रह अनुदान तथा विपत्र कोड N2055001130006 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3.. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं0–5294, दिनांक 17.06.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत सभी व्यय के लिए विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 में प्रावधानित बंधेज को पूर्णरूपेण शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, रोहतास, सासाराम से की जायेगी।

5. उपर्युक्त राशि के निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।

6. उपर्युक्त राशि के निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

8. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1/चौ0–90–26/2015गृ0आ0...पटना, दिनांक फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1/चौ0–90–26/2015गृ0आ0.............15.............पटना, दिनांक 08 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना/स्व0 गोविन्द पासवान, तत्कालीन चौकीदार 6/3 की पत्नी शारदा कुँवर, ग्राम–पडुका, पो0–तिलोखर, थाना–चुटिया, जिला–रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव